

जनपद-सुलतानपुर

लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाये जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र० सं०	बिन्दु	उत्तर
(i)	अपने संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य	मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की तैयारी एवं निर्वाचनों को सुचारु रूप से सम्पन्न कराये जाने का कार्य।
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों को ससमय कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य को सम्पादित करना।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	कार्यालय में प्रातः 10-00 बजे से सायं 5-00 बजे तक उपस्थित रहकर कार्यों का सम्पादन करना तथा आमजन द्वारा चाही गई जानकारी/सूचना को ससमय उपलब्ध कराया जाना है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों को ध्यान में रखकर कार्यों का सम्पादन किया जाना।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	निर्वाचक नामावली मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान-पत्र
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निर्वाचक नामावली मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान-पत्र आदि के संबंध में राजनैतिकदल/आमजन से परामर्श लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में या इस बारेमें सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें, जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण	निर्वाचन विभाग से संबंधित नहीं है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	पृथक रूप से निर्देशिका नहीं निर्गत की गई है।

(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्मिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबिधत हो।	जिला निर्वाचन कार्यालय क अधिकारी एवं कर्मचारियों पर मासिक पारिश्मिक (वेतन आदि पर) रूपये 3,54314-00 की धनराशि व्यय होती है।
(xi)	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटन बंजट	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बन्धित है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है।	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बन्धित है।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बन्धित है।
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो जो उसके द्वारा धारित हों।	इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तौ कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रातः 10-00 बजे से सायं 5-00 बजे तक नागरिकों के बैठने आदि की व्यवस्था है।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 05/निर्वाचन दिनांक 02 जनवरी 2018 द्वारा डॉ0 राजेश कुमार सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुलतानपुर का प्रभार सौंपा गया है तथा इन्हीं के द्वारा जनसूचना अधिकारी का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।	शून्य है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,

सुलतानपुर।